

उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश  
(स्थापना कक्ष)

क्रमांक-11/स्था/(4)/11/334

भोपाल, दिनांक-06 जून 2011

:: आदेश ::


प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित भृत्य/चौकीदार को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1.	अताउल्ला,	भृत्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल	उद्योग संचालनालय,भोपाल	स्थानीय
2.	श्री तिवारीलाल डेहरिया,	भृत्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिदवाड़ा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर	प्रशासकीय
3.	श्री राजू मालवीय,	भृत्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इंदौर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगौन	प्रशासकीय
4.	श्री कारुराम चारेल,	भृत्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंदसौर	प्रशासकीय
5.	श्री रामचन्द्र,	चौकीदार	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डीदीप	प्रशासकीय
6.	श्री राजेन्द्र मीणा,	चौकीदार	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उज्जैन	प्रशासकीय

- 2/ स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरित शासकीय सेवक को कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की गई है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जायेगा ।
- 3/ स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये ।
- 4/ स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा-पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पाईज कोड/डेटाबेस(संबंधित कोषालय हेतु) सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजे जावें ।

क्रमशः 2


- 5/ स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा ।
- 6/ स्थानांतरण नीति की कंडिका-15 अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र एफ 6-1/2005/1/9, दिनांक 10.5.2005, 29.7.2005, 9.8.2005 एवं 29.10.2005 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाये जायेंगे ।

  
विनोद सिमवाल  
उद्योग आयुक्त  
मध्य प्रदेश

पृ.क्र.-11/स्था/(4)/11/6451-6488  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-06 जून 2011

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री, म0प्र0 शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगारविभाग, भोपाल ।
3. संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, संचालनालय, म0प्र0, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित
4. अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/रीवा/जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल/छिंदवाड़ा/नरसिंहपुर/इंदौर/खरगौन/रतलाम/मंदसौर/मंडीदीप/उज्जैन । कृपया स्थानांतरित कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति अनुसार आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें साथ ही स्थानांतरित कर्मचारी को आदेश प्रति हस्तगत कराकर, पावती से उद्योग संचालनालय को अवगत करावें ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल/छिंदवाड़ा/नरसिंहपुर/इंदौर/खरगौन/रतलाम/मंदसौर/मंडीदीप/उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. उप संचालक उद्योग स्थापना कक्ष की समस्त शाखायें -सतर्कता प्रकोष्ठ/उद्योग संचालनालय के समस्त कक्ष/लेखा कक्ष मुख्यालय, भोपाल ।
8. संबंधित श्री \_\_\_\_\_ भृत्य/चौकीदार, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र \_\_\_\_\_ की ओर पालनार्थ ।
9. आर्डर बुक ।
10. सूचना पटल

  
गोपाल श्रीवास्तव  
संयुक्त संचालक उद्योग  
कृते उद्योग आयुक्त

उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश  
(स्थापना कक्ष)

क्रमांक-11/स्था/(4)/11/335

भोपाल, दिनांक-06 जून 2011

:: आदेश ::


प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित भृत्य/चौकीदार को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिगार्क
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ताराचंद कनेरिया,	भृत्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री भीमसेन	भृत्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड	स्वयं के व्यय पर

- 2/ स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरित शासकीय सेवक को कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की गई है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जायेगा ।
- 3/ स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाईम का लाम उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये ।
- 4/ स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा-पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पाईज कोड/डेटाबेस(संबंधित कोषालय हेतु) सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजे जावें ।

क्रमशः 2


- 5/ स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा ।
- 6/ स्थानांतरण नीति की कंडिका-15 अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र एफ 6-1/2005/1/9, दिनांक 10.5.2005, 29.7.2005, 9.8.2005 एवं 29.10.2005 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाये जायेंगे ।

  
विनोद सैमवाल  
उद्योग आयुक्त  
मध्य प्रदेश

पृ.क्र.-11/स्था/(4)/11/6489-6508  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-06 जून 2011

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री, म0प्र0 शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगारविभाग, भोपाल ।
3. संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, संचालनालय, म0प्र0, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
4. अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, इंदौर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार/पीथमपुर/भिण्ड/ग्वालियर । कृपया स्थानांतरित कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति अनुसार आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, साथ ही स्थानांतरित कर्मचारी को आदेश प्रति हस्तगत कराकर, पावती से उद्योग संचालनालय को अवगत करावें ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, धार/पीथमपुर/भिण्ड/ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. उप संचालक उद्योग स्थापना कक्ष की समस्त शाखायें -सतर्कता प्रकोष्ठ/उद्योग संचालनालय के समस्त कक्ष/लेखा कक्ष मुख्यालय, भोपाल ।
8. संबन्धित श्री \_\_\_\_\_ भृत्य/चौकीदार, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र \_\_\_\_\_ की ओर पालनार्थ ।
9. आर्डर बुक ।
10. सूचना पटल

  
गोपाल श्रीवास्तव  
संयुक्त संचालक उद्योग  
कृते उद्योग आयुक्त